

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

प्रार्थी
सिंडीकेट बैंक शाखा जालोर

बनाम

अप्रार्थी
श्री हीरालाल पुत्र शंकरलाल एवं श्रीमती जमना
देवी पत्नी स्व.श्री शंकरलाल निवासी इन्द्रापुरी
कॉलोनी जालोर

विविध प्रकरण संख्या

19/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

अधिवक्ता:-श्री रमेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-26.08.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि बैंक ने ऋणी श्री हीरालाल पुत्र शंकरलाल एवं श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व.श्री शंकरलाल निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर (राज.)को गृह ऋण राशि रूपये 10,00,000/ का ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- अचल सम्पत्ति रहवासी मकान जो कि इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर राजस्थान में स्थित है जो श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल एवं श्री हीरालाल पुत्र श्री शंकरलाल के नाम से है। ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 05.01.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजि.ए.डी./बाई हेड से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये हाउसिंग लोन ऋण खाते में राशि रूपये 8,86,851/- (अक्षरो आठ लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यावन रूपये मात्र) दिनांक 31.12.2018 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करने के लिये मांग की गई थी व मांग नोटिस बिना तामिल के लौट आने के कारण मांग नोटिस का प्रकाशन प्रभात अभिनन्दन एवं ईकोनॉमिक टाइम्स में दिनांक 13.05.2019 को बैंक द्वारा करवाया गया। लेकिन ऋणी/जमानतदार द्वारा उक्त मांग नोटिस में दी गई अवधि में बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। बैंक को हाउसिंग लोन ऋण खाते में राशि रूपये 8,86,851 (अक्षरो आठ लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यावन रूपये मात्र) दिनांक 01.01.2019 तक इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणियों/जमानतदारों से लेना है। बकाया राशि को वमूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत परिसम्पत्ति अचल सम्पत्ति :- रहवासी मकान जो कि इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर में स्थित है जो श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकरलाल एवं श्री हीरालाल पुत्र श्री शंकर लाल के नाम से है कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है:- धारा 14(1)के मुख्य अंश आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:- जहां किसी प्रतिभूत आस्थियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो तो प्रतिभूत लेनदार किसी


प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिये लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों को भेजेगा। (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा। उप धारा (2) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमों को लेगे या लेवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा। उप धारा(3) इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नहीं किया जायेगा। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है:- अचल सम्पत्ति :-रहवासी मकान जो इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर में स्थित है।

अतः उपरोक्त गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 10,00,000/-रूपये (रू दस लाख) का ऋण/ सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिये नियमानुसार धारा 13(2) के तहत 05.01.2019 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनों में 8,86,851/- (अक्षरो आठ लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यावन रूपये मात्र) दिनांक 31.12.2018 तक का ब्याज सम्मिलित है। प्रतिवादियों ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस बिना तामिल के लौट आने के कारण मांग नोटिस का प्रकाशन प्रभात अभिनन्दन एवं ईकोनोमिक टाइम्स में दिनांक 13.05.2019 को बैंक द्वारा करवाया गया। बैंक की बकाया राशि अदा करने में चुक की है।

वितीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- (1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपत्तियों, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपयुक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।


(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

